6/10/22 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। डाली बाई डाली के विरुद्ध नाम मूलत के नाम पर निशानवाल किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड रखा कर पाया कि डाली के विरुद्ध नाम निशानवाल अंकित है। डाली के पिता का नाम अन्य साक्ष्यों के आधार पर मूलत के नाम पर निशानवाल किये जाने के तहसीलदार करौली को आदेश दिये गये हैं। पत्रावली दुरुस्त मूलत होकर निकट है। अतः प्रार्थना स्वीकार है। आदेश कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.12.22 10:48:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)